न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 12/440

रविन्द्र कुमार शर्मा आत्मज श्री केशव बल्लभ जी जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम देहित तहसील व जिला बून्दी ।

———अपीलान्ट

बनाम

1. स्व0 श्री वासुदेव आत्म्ज वैध फतेह शंकर जी जाति ब्राह्मण निवासी बालचन्द पाडा बून्दी तहसील व जिला बून्दी (मृतक) जरिये कायममुकामान :–
   1/1. गिरीश
   1/2. शारदा
   1/3. सरला पिसरान स्वर्गीय श्री वासुदेव जी जाति ब्राह्मण निवासी बालचन्द पाडा बून्दी तहसील व जिला बून्दी ।
2. तहसीलदार तहसील बून्दी जिला बून्दी ।
3. राजस्थान राज्य सरकार जरिये जिला कलक्टर, बून्दी ।

———रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री नरेन्द्र गुप्ता, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रमेश कुशवाह, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट की ओर से ।

निर्णय दिनांक: 28.09.2018

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय सहायक जिलाधीश बून्दी जिला बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.04.2011 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 88, 89 एवं 188 के अन्तर्गत वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम देहित तहसील एवं जिला बून्दी की आराजी नया खसरा नम्बर 2170 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा, तथा खसरा नम्बर 2170 मि0 रकबा 14 बीघ 07 बिस्वा अन्य भूमियों को मिलाकर बना दिया लेकिन पुराना खसरा नम्बर 957/1 मिन रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा का भूमि सुधार के बाद खसरा नम्बर 2170 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा बना है जो विस्थित है । वाद चरण संख्या 1 में वर्णित पुराना खसरा नम्बर 957/1 मि0 रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा जिसका नया खसयरा नम्बर 1331/2 बना तथा भूमि सुधार के बाद खसरा नम्बर 2170 रकबा

02 बीघा 05 बिस्वा बना है । संवत् 2028 के पूर्व इस भूमि पर बहैसियत खातेदार मृतक श्रीमति केशर बाई विधवा कल्याण लाल जी जाति ब्राह्मण कदीमी काबिज चली आ रही है । श्रीमती केशर बाई ने उनके रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 14.04.87 द्वारा उनके खाते की विवादित तथा अन्य भूमि उनकी मृत्यु के बाद वादी को दिये जाने बाबत् अधिकारी बनाया तथा श्रीमति केशर बाई की मृत्यु के बाद वादी ही उनकी सम्पत्ति का एकमात्र बहैसियत खातेदार कृषक वैधानिक रूप से काबिज है तथा श्रीमती केशर बाई का वादी ही एकमात्र उत्तराधिकारी है । संवत् 2028 से पूर्व खातेदार वैध फतेहशंकर जी के खाते में पुराना खसरा नम्बर 957/1 मि रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा ही भूमि थी जिसका बन्दोबस्त 2028 के बाद नया खसरा नम्बर 1331/1 रकबा 15 बीघा 13 बिस्वा का ही खाता कायम हुआ था लेकन अप्रार्थी क्रम 1 के पिता वैध फतेहशंकर का भूमि सुधार के बाद उक्त भूमि का नया खसरा नम्बर 2157 रकबा 14 बीघा 17 बिस्वा भूमि का बाद कटौती आवंटन होकर खाता कायम हुआ जिसके बाद राजस्व पटवारी व अधिकारियों ने धोखे से चुपचाप उक्त खातेदार श्रीमति केसरबाई के खाते की वादग्रस्त आराजी में अंकित का रकबा 02 बीघा 05 बिस्वा प्रतिवादी क्रम 1 के पिता श्री वैध फतेहशंकर के खाते बिना किसी वैध हस्तान्तरण अथवा वैध प्रक्रिया के अपनाये फर्जी खाते दर्ज कर दी गई जिससे वादी पुनः उसके खाते दर्ज कराने का अधिकारी है ।

3. अतः बहक वादी तथा विरूद्ध प्रतिवादी क्रम 1 वादी का वाद डिक्री फरमाया जाकर विवादित भूमि में वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा की जाकर विवादित भूमि वादी के खाते में दर्ज की जावे तथा प्रतिवादी क्रम 1 के हक में जारी उक्त डिक्री तथा फैसला दिनांक 21.02.1991 वादी के विरूद्ध शून्य प्रभावी होने की घोषणा की जावे तथा प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावे कि वह वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करें ।

4. अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.04.2011 के द्वारा वादी का वाद खारिज कर दिया ।

5. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.04.2011 से व्यथित होकर वादी अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि केचमेंट के बाद श्रीमती केशरबाई की उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 2170 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कायम हुआ है । खसरा नम्बर 2170 मिन की 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि तो श्रीमती केशरबाई के खाते दर्ज कर दी । प्रतिवादी क्रम 1 वासुदवे के पिता श्री फतेहशंकर जी के खाते में केचमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 1331/2 की 15 बीघा 13 बिस्वा आराजीयात स्थित थी, केचमेंट में कटौती में 16 बिस्वा रकबा कम किया गया था । प्रतिवादी क्रम 1 वासुदेव के पिता फतेहशंकर जी के खाते बाद कटौती खसरा नम्बर 2157 की 14 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज की गई । फतेहशंकर जी के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि प्रतिवादी क्रम 1 के खाते दर्ज की गई जो पूर्व रकबे के अनुसार सही है । प्रतिवादी क्रम 1 के खाते खसरा नम्बर 2170 की 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि सर्वथा गलत एवं अवैध रूप से दर्ज की गई है । प्रतिवादी क्रम 1 वासुदवे एंव उसकी मृत्यु हो जाने से रेस्पोडेन्ट क्रम 1/1 लगायत 1/3 का हाल खसरा नम्बर 2170 की 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है । केचमेंट द्वारा किये गये गलत त्रुटिपूर्ण एवं अवैध इन्द्राजात से प्रतिवादी क्रम 1 एवं उनकी मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट क्रम 1/1 लगायत 1/3 को उक्त आराजी पर कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते हैं । खसरा नम्बर 2170 की 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि से प्रतिवादी क्रम 1 वासुदवे एवं उनके वारिसान रेस्पोडेन्ट क्रम 1/1 से 1/3 का कोई सम्बन्ध नहीं है । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने वादी का वाद खारिज किया है वह त्रुटिपूर्ण होने से निस्तनीय

है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.04.2011 निरस्त फरमाया जावे ।

6. अपीलान्ट ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी की अनुपस्थिति में निर्णय पारित किया है । प्रार्थी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में पैरवी करने हेतु वकील साहब नियुक्त कर रखे थे जिन्होंने प्रार्थी को हर तारीख पेशी पर न्यायालय में आने से मना कर दिया था तथा आवश्यकता होने पर अथवा फैसला होने पर सूचना देने का आश्वासन दिया था परन्तु प्रार्थी अपीलान्ट ने वकील ने उन्हें कोई सूचना नहीं । उक्त निर्णय एवं डिक्री की सर्वप्रथम जानकारी दिनांक 21.05.2012 को वकील साहब के पास जाने से हुई जिस पर उक्त निर्णय की नकल प्राप्त कर यह अपील न्यायालय हाजा में पेश की गई है । अतः जानकारी के अभाव में अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षम्य किया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गईं । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के उपस्थित नहीं आने से अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई ।

8. अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपील मीमो में कहे गये कथनों को दोहराया और निवेदन किया कि कि वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में हक, घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थायी निषेधाज्ञा का वाद पेश किया था । आराजी खसरा नम्बर 1331/2 की 03 बीघा 15 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 1349 की 13 बीघा 14 बिस्वा कुल 02 किता की 17 बीघा 09 बिस्वा आराजी स्थित थी जो श्रीमती केसरबाई बेवा कल्याण जी के खाते एवं कब्जे काश्त में थी । उक्त आराजी के केचमेंट में 15 बिस्वा की कटोती की जाकर केसरबाई के खाते 16 बीघा 14 बिस्वा भूमि दर्ज होना चाहिए था । परन्तु केसरबाई के खाते नये खसरा नम्बर 2170 कायम कर 16 बीघा 14 बिस्वा के स्थान पर 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि केसरबाई बेचा कल्याण के खाते दर्ज की गई थी । केसर बाई ने अपने जीवनकाल में दिनांक 14.04.1987 अपीलान्ट के पक्ष में रजिस्टर्ड वसीयत निष्पादित कर दी । इस वसीयत में वादी अपीलान्ट को अपना वसीयती उत्तराधिकारी घोषित किया गया था । श्रीमती केसर बाई का स्वर्गवास हो चुका है । केसरबाई के खाते की 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि को छोडकर शेष 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि मृतक केसरबाई के वसीयती उत्तराधिकारी होने से वादी अपीलान्ट के खाते दर्ज हो चुकी है । शेष 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि गलत एवं अवैध रूप से प्रतिवादी क्रम 1 वासुदेव के खाते दर्ज की गई थी । वादी अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से अपना केस प्रमाणित कर दिया था । सहायक कलक्टर बून्दी द्वारा वासुदेव बनाम केसरबाई वगै0 के वाद में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 21.02.91 बाबत् वाद अवैध रूप से डिक्री फरमाया गया है । उक्त निर्णय एंव डिक्री की अप्रसन्नता से अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की थी । अपीलान्ट रविन्द्र कुमार द्वारा प्रस्तुत उक्त अपील न्यायालय द्वारा दिनांक 25.09.1997 को आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री निरस्त फरमाया दिया गया था । उसके उपरान्त अधीनस्थ न्यायालय में दावा वादी अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारिज हो गया था । अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर बून्दी द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री वर्तमान में प्रभावशील नहीं है तथा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा निरस्त किया जा चुका है । केचमेंट के बाद श्रीमती केशरबाई की उक्त भूमि के नये खसरा नम्बर 2170 रकबा 16 बीघा 14 बिस्वा कायम हुआ है । खसरा नम्बर 2170 मिन की 14 बीघा 07 बिस्वा भूमि तो श्रीमती केशरबाई के खाते दर्ज कर दी । प्रतिवादी क्रम 1 वासुदवे के पिता श्री फतेहशंकर जी के

खाते में केचमेंट से पूर्व खसरा नम्बर 1331/2 की 15 बीघा 13 बिस्वा आराजीयात स्थित थी, केचमेंट में कटौती में 16 बिस्वा रकबा कम किया गया था । प्रतिवादी कम 1 वासुदेव के पिता फतेहशंकर जी के खाते बाद कटौती खसरा नम्बर 2157 की 14 बीघा 17 बिस्वा भूमि दर्ज की गई । फतेहशंकर जी के स्वर्गवास के उपरान्त उक्त भूमि प्रतिवादी कम 1 के खाते दर्ज की गई जो पूर्व रकबे के अनुसार सही है । प्रतिवादी कम 1 के खाते खसरा नम्बर 2170 की 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि सर्वथा गलत एवं अवैध रूप से दर्ज की गई है । प्रतिवादी कम 1 वासुदेव एंव उसकी मृत्यु हो जाने से रेस्पोडेन्ट कम 1/1 लगायत 1/3 का हाल खसरा नम्बर 2170 की 02 बीघा 05 बिस्वा भूमि पर कोई हक एवं अधिकार नहीं है । केचमेंट द्वारा किये गये गलत त्रुटिपूर्ण एवं अवैध इन्द्राजात से प्रतिवादी कम 1 एवं उनकी मृत्यु हो जाने से उसके वारिसान रेस्पोडेन्ट कम 1/1 लगायत 1/3 को उक्त आराजी पर कोई हक हकूक प्राप्त नहीं होते हैं । अपील विलम्ब से पेश की गई है तथा अपील में धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश किया है । उसके खण्डन में कोई काउन्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 29.04.2011 निरस्त फरमाया जावे । उन्होंने अपने कथन की पुष्टि में 1998 आरआरडी पेज 319 उद्धरत की ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया एवं अपीलान्ट के लायक अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया । सर्वप्रथम हमने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 भारतीय मियाद अधिनियम का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र में विलम्ब के जो कारण बताएं हैं वह उचित प्रतीत होते हैं । अतः अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब अवधि को क्षमय किया जाता है ।

10. अधीनस्थ न्यायालय ने दावा एवं जवाबदावा के आधार पर 05 तनकीयात कायम थी जो अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में पृष्ठ संख्या ए 7/1 पर संलग्न है । अधीनस्थ न्यायालय ने अपना निर्णय पारित करते समय किसी भी तनकी पर विवेचन किये बिना ही निर्णय पारित कर दिया जो व्यवहार प्रकिया संहिता के आदेश 20 नियम 05 के प्रावधानों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । हम प्रस्तुत प्रकरण को तनकीवार निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में उचित समझते हैं ।

11. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एंव डिक्री दिनांक 29.04.2011 निरस्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि दावे एवं जवाबदावे के आधार पर कायम तनकीयात में प्रत्येक तनकी पर अपना स्पष्ट निष्कर्ष पारित करते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे दिनांक 12.11.2018 को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हों ।

12. निर्णय आज दिनांक 28.09.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

28/9/18

(भागवंती जेठवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा